17.12.24

पत्रावली बाहर आदेश पेश हुई। प्रार्थी ने क्र.स. प्रा.पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी नं. 371, 622 मौजा आरवाडिया में [illegible] आराजी हुकमा के खातेदारी की थी। हुकमा के तीन पुत्र जयराम, रेवत व भेरू हुये जिनके बराबर 1/3 हिस्सा था। जयराम की मृत्यु हो चुकी है उनके वारिस मोती की भी मृत्यु हो चुकी है उनके पुत्र राधा, मोडीराम, प्रावलाल व रामसिंह है जो प्रार्थीगण है जिनका आराजी में 1/3 हिस्सा है। रेवत व किशना की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिस 1/3 हिस्से पर काबिज है भेरू की भी मृत्यु हो चुकी है जिसका वारिस बिरधी गुलाब है जिसका नाम 1/3 हिस्से में दर्ज है। लेकिन गुलाब के पिता ने अपने 1/3 हिस्से में से 1/2 हिस्सा संवत 2009 में 225 रु. में वादी के दादा जी जयराम को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया है। जिसके वारिस प्रार्थीगण है इसलिए 1/3 में से 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण के [illegible] जोड़े तथा [illegible] समय के [illegible] इन्द्राज पंजीयन के जो वह खातेदार काश्तकार है। विपक्षीगण आराजी के हस्तान्तरण करने पर आमादा है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.02.24 10:35:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर

इसलिए इनका अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को तलब किया गया विपक्षीगण ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। तथा विपक्षी गुलाब का 1/3 हिस्सा होना और विपक्षी कपिला के द्वारा आराजी को संवत 2009 में विक्रय करने से इनकार किया तथा कथित किया कि प्रार्थीगण स्वतंत्र तौर पर काश्तकार रहा है कि आराजी इनके दादा ने खरीद की है तथा [illegible] तथ्य [illegible] पटेवाल के आधार पर दावा चाही गई है तथा जो विक्रय पत्र है वह अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्प होकर कोई महत्व नहीं रखता है। तथा आराजी का बटवारा भी मौके पर कर रखा है। तथा विपक्षी खातेदार काश्तकार है इसलिए प्रा. पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी स्वयं कहता है कि उसके दादा ने आराजी खरीद की है परन्तु तो उसका दादा ने ना ही उसके पिता मोती ने इसके बाद में कोई खातेदारी बाबत [illegible] नहीं किया है जबकि [illegible] गुलाब के नाम [illegible] हो चुकी थी। तथा वर्तमान में गुलाब की भी मृत्यु हो चुकी है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.02.24 10:35:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
छोटीसादड़ी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वाद आधार दस्तावेज अपंजीकृत व अपर्याप्त स्टाम्प पर होकर प्रार्थी को संविदा की पालना का वाद प्रस्तुत करना चाहिए था जो नहीं किया गया। प्रार्थी अन-रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग खातेदार के विरुद्ध चाही गई है जो इस स्तर पर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रा. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] मुताबिक होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो। सहायक कलेक्टर बड़ीसादड़ी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.02.24 10:35:40 IST
Reason: SelfAttested